उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-11/2024/आडिट-1-111(5)/दस-2024-320(1)/2024
लखनऊ ; दिनांक : 28 जून, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री अशोक कुमार मिश्र, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, प्रादेशिक राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, अयोध्या मण्डल के पद पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2- श्री अशोक कुमार मिश्र को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांकः-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।